

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।**

संख्या:-19फ/17-एन/2009/

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2012

**-:आदेश:-**

उ0प्र0 नर्सिंग राजपत्रित सेवा नियमवार्ता, 1996 व शासनादेश संख्या:-2590/पॉच-1:-2008-एन-133/01, दिनांक: 09/09/2003 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित मातृकाओं(सहायक नर्सिंग अधीक्षक) की प्रोन्नति वरिष्ठ मातृका(उप नर्सिंग अधीक्षक) के पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है:-

- 1: यह प्रोन्नति ऐसे कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी, जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन, सेवा समाप्ति की नोटिस प्रभावी हो या लम्बे समय से अनुपस्थित हो, मृत्यु, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, न्यायालय वाद/न्यायालय द्वारा बृहद दण्ड/दण्डित किया जाना, सन्भावित हो। उक्त की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी आदेशों को तामील करायें।
- 2: यह प्रोन्नति अस्वीकार/फोरगो करने पर उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र एक माह के अन्दर महानिदेशालय से स्वीकृत करा लें, एक माह के अन्तर्गत तैनाती पर योगदान न करने पर स्वतः फारगो माना जायेगा। फारगो होने पर नियमानुसार आगे सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुपस्थित नहीं होगा। स्थानान्तरण से आच्छादित होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा फारगो से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर अगले दो घन वर्ष तक के कर्मियों की प्रोन्नति के उपरान्त ही उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।
- 3: वरिष्ठता क्रमांक विसंगति/न्यायालय वाद या अन्य कोई प्रकरण प्रकाश में आते हैं, तो नियोजता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना बताये, प्रोन्नति में परिवर्तन, परिवर्धन/स्थगन या निरस्तकरण से किसी एक या सभी पर कार्यवाही कर सकता है।
- 4: यदि किसी कर्म की प्रोन्नति पूर्व में हो चुकी हो और इस सूची में भी उसका नाम हो, तो उनकी प्रोन्नति प्रभावी नहीं होगी।

उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करा लिया जाये। इनके तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

कार्यभार ग्रहण के प्रकार प्रमाण-पत्र उपचारिका अनुभाग-19 को भेजे जायें, स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप यदि किसी कर्मियों की वर्तमान तैनाती परिवर्तित हो गयी हो, तो संबंधित आदेश वहां भेज दिये जायें।

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती
(1)	(2)	(3)	(4)
1	156	श्रीमती पुष्पावती	केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय, मुरादाबाद।
2	204	श्रीमती कमला भटनागर	आर0एल0बी0राज0सं0चिकि0, राजाजीपुरम्, लखनऊ।
3	212	श्रीमती सोनवती डेविड	जिला महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर।
4	217	रुह जहाँ इस्लाम	आ0इ0शु0ए0, कानपुर।
5	230	श्रीमती शशिबाला	जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद।
6	277	मायाकुमारी चरन (माया एहस्तान)	जिला चिकित्सालय, देवरिया।
7	1899	माया वर्मा	जिला महिला चिकित्सालय, उरई, जालौन।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

(विभा लाल)  
महानिदेशक  
तददिनांक:

संख्या:-19फ/17-एन/2009/1266-68

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त सम्बन्धित कर्मचारी।
- 9- गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार)

## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-19फ/17-एन/2009/

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2012

### -:आदेश:-

उपरोक्त नर्सिंग राजपत्रित सेवा नियमशाली, 1996 व शासनादेश संख्या-2590/पॉच-11-2003-एन- 133/01, दिनांक: 09/09/2003 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सिस्टर्स(नर्सिंग सिस्टर्स/नर्सिंग वार्ड मास्टर) की प्रोन्नति मातृकाओं(सहायक नर्सिंग अधीक्षक) के पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन 6400/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है:-

- 1: यह प्रोन्नति ऐसे कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी, जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन, सेवा समाप्ति की नोटिस प्रभावी हो या लम्बे समय से अनुपस्थित हो, मृत्यु, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, न्यायालय वाद/न्यायालय द्वारा बृहद दण्ड/दण्डित किया जाना, सम्भावित हो। उक्त की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी आदेशों को तामील करायें।
- 2: यह प्रोन्नति अस्वीकार/फारगो करने पर उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र एक माह के अन्दर महानिदेशालय से स्वीकृत करा लें, एक माह के अन्तर्गत तैनाती पर योगदान न करने पर उक्त फारगो नामा जायेगा। फारगो होने पर नियमानुसार आगे सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुभव नहीं होगा। स्थानान्तरण से आच्छादित होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा फारगो से प्राप्त त्रयोवर्षीय पर अगले दो चयन वर्ष तक के कर्मियों की प्रोन्नति के उपरान्त ही उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।
- 3: वरिष्ठता कर्मांक विसंगति/न्यायालय वाद या अन्य कोई प्रकरण प्रकाश में आते हैं, तो नियोजक को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना बताये, प्रोन्नति में परिवर्तन, परिवर्धन/स्थगन या निरस्तीकरण से किसी एक या सनी पर कार्यवाही कर सकता है।
- 4: यदि किसी कर्म की प्रोन्नति पूर्व में हो चुकी हो और इस सूची में भी उसका नाम हो, तो उनकी प्रोन्नति प्रभावी नहीं होगी।

उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करा लिया जाये। इनके तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

कार्यभार ग्रहण के प्रकार प्रमाण-पत्र उपचारिका अनुभाग-19 को भेजे जायें, स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप यदि किसी कर्मियों की वर्तमान तैनाती परिवर्तित हो गयी हो, तो संबंधित आदेश वहाँ भेज दिये जायें।

क्र० सं०	वरिष्ठता कर्मांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती
(1)	(2)	(3)	(4)
1	288	निरुपमा सिंह	जिला महिला चिकित्सालय, बिजनौर।
2	336	श्रीमती सरोजनी लाल	एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा।
3	364	नजाकत अखतर	जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर।
4	389	सोसन पॉल	एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा।
5	392	मधुलिका	एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा।
6	407	लाजवंती विल्सन	आई0डी0 चिकित्सालय, कानपुर।
7	436	कृ० इबलिंग सिंह	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।

उपरोक्त आदेश के क्रम में अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

(विभा लाल)

महानिदेशक

तददिनांक

संख्या-19फ/17-एन/2009/12.76-78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर नवन, लखनऊ।
- 2- समस्त सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त सम्बन्धित कक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त सम्बन्धित कर्मचारी।
- 9- गार्ड फाइल।

सं० निदेशक (चिकित्सा उपबोर्ड)



## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-19फ/17-एन/2009/

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2010

### -आदेश:-

उ0प्र0 नर्सिंग अराजप्रतिर सेवा नियमवली, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित उपचारिकाओं की प्रोन्नति सिरदर(नर्सिंग सिरदर) के पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है:-

1. यह प्रोन्नति ऐसे कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगी, जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन, सेवा समाप्ति की नोटिस प्रभावी हो या लम्बे समय से अनुपस्थित हो, मृत्यु, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, न्यायालय बाद/न्यायालय द्वारा बृहद दण्ड/वण्डित किया जाना, समाहित हो। उक्त की पुष्टि के उपरान्त ही संबंधित अधिकारी आदेशों को तामील कराये।
2. यह प्रोन्नति अस्वीकार/फौरगी करके पर उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्र एक माह के अन्दर महानिदेशालय से स्वीकृत करा लें, एक माह के अन्तर्गत तैनाती पर योगदान न करने पर स्वतः फारगो माना जायेगा। फारगो होने पर नियमनुसार आगे सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। स्थानान्तरण से आव्हानित होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा फारगो से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर अगले दो चयन वर्ष तक के कर्मियों की प्रोन्नति के उपरान्त ही उनके प्रार्थना-पत्र पर दिवार किया जायेगा।
3. वरिष्ठता कर्मांक विसंगति/न्यायालय बाद या अन्य कोई प्रकरण प्रकाश में आते हैं, तो नियोक्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह दिना बताये, प्रोन्नति में परिवर्तन, परिवर्धन/रथगन या निरस्वीकरण से किसी एक या सभी पर कार्यवाही कर सकता है।
4. यदि किसी कर्मियों की प्रोन्नति पूर्ण न हो चुकी हो और इस सूची में भी उसका नाम हो, तो उनकी प्रोन्नति प्रभावी नहीं होगी।

उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लिया जाये। इनके तैनाती के आवेदन अलग से निर्गत किये जायेंगे।

कार्यभार ग्रहण के प्रभार प्रमाण-पत्र उपचारिका अनुभाग-19 को भेजे जायें, स्थानान्तरण आदि के फलस्वरूप यदि किसी कर्मियों की वर्तमान तैनाती परिवर्तित हो गयी हो, तो संबंधित आदेश वहां भेज दिये जायें।

क्र० सं०	वरिष्ठता कर्मांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती
(1)	(2)	(3)	(4)
1	557क	किशोरी दास	सा0स्वा0के0, लम्गुआ, सुलतानपुर।
2	1346	प्रभा शर्मा	एम0एम0जी0चिकि0, गाजियाबाद।
3	1585	फिलोमिना त्यागी	सामु0स्वा0के0, सरधना, मेरठ।
4	1557	शशिवाला सवसेना	जिला महिला चिकि0, रामपुर।
5	1586क	शशी बाला	जिला चिकित्सालय, रायबरेली।
6	1622	रंजना डेनियल	मुख्य चिकित्सा अधि0, मीरजापुर।
7	1688	उषा चन्द	जिला महिला चिकित्सालय, सहारनपुर।
8	1717	मनोरमा शुक्ला	जिला महिला चिकि0, सीतापुर।
9	1746	सुनीता रोज मायरा	जिला मलखान सिंह चिकित्सालय, अलीगढ़।
10	1753	कुन्दन	महिला चिकित्सालय, बौदा।
11	1782	रोमा वीटा जॉर्ज	जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर।
12	1798	सुमन लता शर्मा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
13	1806	मनोरमा खन्ना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
14	1814	शोभारानी वर्मा	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
15	2147	सावित्री गुप्ता	पुलिस चिकित्सालय, इलाहाबाद।
16	1839	चेरिटी खान	अधीन मु0चि0अ0, लखनऊ।
17	1855	रामबेटी देवी	सरोजनी मेडिकल कालेज, आगरा।
18	1862	सावित्री देवी	अधीन मु0चि0अ0, मेरठ।
19	1870	एलिस खान	जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
20	1889	कुन्ती देवी जायसवाल	अ0इ0 सुगर इक्सचेंज, कानपुर।
21	1890	राज किशोरी शुक्ला	अ0इ0 सुगर इक्सचेंज, कानपुर।
22	1895	सरोज श्रीवास्तव	अ0इ0 सुगर इक्सचेंज, कानपुर।
23	1893	शिव कुमारी सिंह	आर0ए0एल0सी0, लखनऊ।

24	1897	रजनी सिंह	अधीन मु०चि०अ०, रामपुर।
25	1900	मायेंट ग्रेस स्टाव	आन०एन०एल० चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
26	1903	माधुरी श्रीवास्तव	नेहरू चिकि०संब०मेडि० कालेज, गोरखपुर।
27	1904	अरुना चरण	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
28	1905	मधुबाला धीमान	जिला महिला चिकि०, सहारनपुर।
29	1908	विनीता पील	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद।
30	1909	मीना चन्द्र	जिला महिला चिकि०, बाराबंकी।
31	1910	उर्मिला सिंह	अधीन मु०चि०अ०, मिर्जापुर।
32	1911	सुनीता आर० सिंह	अधीन मु०चि०अ०, रामपुर।
33	1912	अर्चना गुप्ता	ओपेक चिकि०, कैली, बस्ती।
34	1917	वायलेट स्कैल	नेहरू चिकि०संब०मेडि० कालेज, गोरखपुर।
35	1918	कृष्णा जसवाल	एल०एल०आर०चिकि०, कानपुर।
36	1927	सुनीला आदर्श	एम०एम०जी०चिकि०, गाजियाबाद।
37	1929क	निर्मला देवी वर्मा	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
38	1933	चन्द्रवती गिडियन	सी०एच०सी० कासगंज, काशीरामनगर
39	1934	रजनी देवी दामोदर	एस०बी०बी०पी०चिकि०, मेरठ।
40	1936	कमलेश कुमारी	टी०बी० चिकि०, इलाहाबाद
41	1940	इन्दु राय	एस०आर०एन० चिकि०, इलाहाबाद।
42	1941	सुरीला देवी श्रीवास्तव	जिला चिकित्सालय, पीलीभीत।
43	1944	वी०जे० लाल	अधीन मु०चि०अ०, झांसी
44	1945	रेहाना खातून	अधीन मु०चि०अ०, बरेली
45	1947	प्रेमा वर्मा	जिला महिला चिकि०, उरई, जालौन।
46	1949	इन्दु वाला	जिला महिला चिकि०, बरेली
47	1950	रमीला जानसन	जिला चिकित्सालय, बहराइच।
48	1955	मालती चौधरी	एस०बी०बी०पी०चिकि०, मेरठ।
49	1957	एडना सिंह	जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर।
50	1960	ममता एलेक्जेंडर	टी०बी० चिकि०, इलाहाबाद।
51	1961	संघना परितस जैन	नेहरू चिकि०संब०मेडि० कालेज, गोरखपुर।
52	1963	शशि बाला शर्मा	एस०बी०डी० चिकि०, सहारनपुर।
53	1964	पुनम मिश्रा	जिला चिकित्सालय, बहराइच।
54	1965क	शीला यादव	जिला महिला चिकि०, वाराणसी।
55	1967	प्रेमलता श्रीवास्तव	ओपेक चिकि०, कैली, बस्ती।
56	1974	शिल्पी बनर्जी	आइ० सुगर इक्सचेंज, कानपुर।
57	1977	रोज कु० सिंह	एस०बी०बी०पी०चिकि०, मेरठ।
58	1982	माधुरी देवी	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी।
59	1983	शबाना मुजबकर	अधीन मु०चि०अ०, मुरादाबाद
60	1984	अनीता रानी	जिला महिला चिकि०, बरेली।
61	1986	मुन्नी शबाना	जिला महिला चिकि०, जीनपुर।
62	1987	सुलोचना भरारा	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद।
63	1991	वायलेट शशि बाला	जिला चिकित्सालय, फैजाबाद।
64	1995	शीरीन सिंह	जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा।
65	1996	इन्दिरा पाण्डेय	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
66	1930	प्रेमी अतावर	जिला संयुक्त चिकि०, नोयडा, गौतम बुद्ध नगर।
67	1997क	पुष्पाराय	जिला चिकित्सालय, देवरिया।
68	2003	शारदा सिन्हा	अधीन मु०चि०अ०, बिजनौर
69	2008	ब्यूला याकूब	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
70	2010	जे० बालर	जिला संयुक्त चिकि०, सोनभद्र
71	2011	टेरेसा विजय जोरवार	एस०बी०बी०पी०चिकि०, मेरठ।
72	2013	डी० एच० सिंह	केन्द्रीय पुलिस चिकि०, मुरादाबाद
73	2015	एजिला लाल	केन्द्रीय पुलिस चिकि०, मुरादाबाद



74	2023	पुष्पा रिचर्ड	सा0स्ता0के0, शिकारपुर, दुलन्दशहर।
75	2024	एल0 गायकवाड	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
76	2025	सोभापती देवी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी।
77	2029	कु0 नीना पुरकार	जिला संयुक्त चिकि0, बादा।
78	2002	सतलज मुषा	जिला महिला चिकि0, बदायूं।
79	2036	उना चौहरी	जिला चिकित्सालय, एटा।
80	2040	शशि प्रभा	डी0डी0यू0 चिकित्सालय, वाराणसी।
81	2044	फूला देवी	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
82	2043	शोभा मसीह	पी0एल0 शर्मा जि0चि0, मेरठ।
83	2046	रेनु स्पैन्सर्स	जिला महिला चिकि0, मेरठ।
84	2056	कुसुम लता प्रसाद	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरली।
85	1997	प्रेमलता एलेक्जेंडर	टी0बी0 चिकि0, इलाहाबाद।
86	2058	शान्ती मिश्रा	एल0एल0आर0चिकि0, कानपुर।
87	2061	प्रेमलता सिंह	जिला महिला चिकि0, उन्नाव।
88	2063	रमाकान्ती शर्मा	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
89	2065	सरोज देवी	एम0डी0आई0चिकि0, इलाहाबाद।
90	2066	शीला देवी आयी	बांगला संयुक्त जिला चिकि0, हाथरस(महामायामगर)।
91	2067	कीर्ति बोयेन	टी0बी0 चिकि0, इलाहाबाद।
92	2070	हेमलता श्रीवास्तव	नेहरू चिकि0संब0मेडि0 कालेज, गोरखपुर।
93	2072	निशा गाइकवाड	पुलिस चिकि0, आगरा।
94	2049	मिथलेश उपाध्याय	डी0डी0यू0 चिकित्सालय, वाराणसी।
95	2073	विनीता दास	एल0एल0आर0चिकि0, कानपुर।
96	2074	कृष्णा कुमारी	जिला महिला चिकि0, हाथरस।
97	2077	तपिता मसीह	डा0 राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय, फर्रुखाबाद।
98	2078	मीरा कश्यप	एस0बी0बी0पी0चिकि0, मेरठ।
99	2079	मीरा देवी राठीर	एल0एल0आर0चिकि0, कानपुर।
100	2084	अन्नपूर्णा देवी	अधीन मु0चि0अ0, मिर्जापुर।
101	2087	कमलेश मूलचन्द	एस0बी0डी0 चिकि0, सहारनपुर।
102	2088	लीना इकबाल	नेहरू चिकि0संब0मेडि0 कालेज, गोरखपुर।
103	2089	अरपीना प्रसाद	जिला चिकित्सालय, झांसी।
104	2090	राधा रानी शर्मा	जिला चिकि0(पु0), मुजफ्फरनगर।
105	2091	रीना रफील	नेहरू चिकि0संब0मेडि0 कालेज, गोरखपुर।
106	2096	विद्यावती	जिला चिकित्सालय, एटा।
107	2097	आशा श्रीवास्तव	आर0एन0एल0 जिला चिकि0, फर्रुखाबाद।
108	2101	रानी देवी सच्चान	जिला महिला चिकि0, हमीरपुर।
109	2102	पुष्पलता सिंह	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद।
110	2103	खुशीद बेगम	पी0ए0सी0 चिकि0, सीतापुर।
111	2104	श्यामरती रानी	जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर।
112	2107	बंश राजी देवी	जिला महिला चिकि0, जौनपुर।
113	2109	इन्दूबाला स्वसेना	जिला चिकित्सालय, आगरा।
114	2111	सुधा देवी	एस0एस0पी0जी0चि0, वाराणसी।
115	2112	हन्ना गिडियन	अधीन मु0चि0अ0, काशीरामनगर।
116	2116	सन्ध्या एलेक्जेंडर	नेहरू चिकि0संब0मेडि0 कालेज, गोरखपुर।
117	2118	निर्मला जेम्स	मेडिकल कालेज, झांसी।
118	2120	विमला देवी सिंह	प0 डी0डी0यू0आर0चिकि0, वाराणसी।

उपरोक्त आदेश के क्रम में अनुमूलन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

(विमा लाल)  
महानिदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त सम्बन्धित मण्डलीय जपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त सम्बन्धित निदेशक एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त सम्बन्धित कर्मचारी।
- 9- गार्ड फाइल।

✓ (एम0 लाल) 26/11/2009

संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार)